

'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018' के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञाप्ति

नई दिल्ली, 12.03.2021— अनचाही वाणिज्यिक संचार जनता की असुविधा का प्रमुख कारण है और यह व्यक्तियों की निजता का भी अतिक्रमण करता है। अक्सर धोखबाज ग्राहकों को धोखा देने और जालसाजी करने के लिए इन संचारों का उपयोग करते हैं। इन अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 ('टीसीसीसीपीआर, 2018') अधिसूचित किया है, जो यूसीसी को नियंत्रित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। विनियम 28.02.2019 से लागू हुआ। तब से, भाद्रविप्र ने दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), के माध्यम से विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमुख संस्थाओं से बात कर रहा है।

2. विनियमों के प्रावधानों एवं पहुंच प्रदाताओं द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार, सेंडर्स (ओटीपी, ट्रांजेक्शनल मैसेज, सर्विस मैसेज या कमर्शियल मैसेज) को थोक संचार भेजने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना अपेक्षित होगा:

- क) प्रमुख संस्था (पीई) का पंजीकरण
- ख) हेडर असाइनमेंट
- ग) कंटेंट टेंपलेट का पंजीकरण
- घ) टीएसपी को संदेशों की डिलीवरी के दौरान पीई आईडी, हेडर, कंटेंट आईडी भेजना
- ड) सहमति टेंपलेट (यदि कोई हो) का पंजीकरण
- च) उपभोक्ता सहमति (यदि कोई हो) प्राप्त करना।

3. ये प्रावधान प्रमुख संस्थाओं को अपने क्लाइंट डेटा पर बेहतर नियंत्रण बनाने में समर्थ बनाते हैं, जिसके लीक होने पर धोखेबाजों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। विनियामक प्रावधान न केवल स्पैम को रोकने में बल्कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य भरोसेमंद स्रोतों से आने वाले धोखाधड़ी वाले संदेशों की रोकथाम करने में भी मदद करते हैं। यह प्रमुख संस्थाओं को उपभोक्ताओं की सहमति का पंजीकरण करके इसकी पहुंच को बढ़ाने में भी मदद करता है।

4. पहुंच प्रदाता प्रमुख समाचारपत्रों में समय—समय पर विनियामक अपेक्षाओं को प्रकाशित करते हैं और प्रमुख संस्थाओं को सूचित करते हैं। हालांकि, जब पहुंच प्रदाताओं द्वारा 8 मार्च, 2021 से एसएमएस स्क्रिप्टिंग को एकटीवेट किया गया था, तब ए2पी एसएमएस ट्रेफिक की कुछ विफलता देखी गई थी। यह पाया गया था कि दो वर्ष के बीत जाने के बाद भी और विनियमों और इसके परिणामों से पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद, कुछ प्रमुख संस्थाओं द्वारा टीसीसीसीपीआर, 2018 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भाद्रविप्रा ने टीएसपी से सात दिनों के लिए

एसएमएस की स्क्रबिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया था ताकि प्रमुख संस्थाएं एसएमएस के टेंपलेट का पंजीकरण कर सकें और उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना न करना पड़ें।

5. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनाक 3 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के तहत भादूविप्रा को यूसीसी की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के प्रावधानों और समय-समय पर जारी संबंधित विनियमों को सख्ती से लागू करने और कानून के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

6. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जो प्रमुख संस्थाएं, जो विनियामक अपेक्षाओं का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें पहुंच प्रदाताओं द्वारा 3 दिन के भीतर विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सूचित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर, चूककर्ता संस्थाओं के नाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवधि के बाद भी, यदि विनियामक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से थोक संचार भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. इसके द्वारा भादूविप्रा एक बार फिर से सभी प्रमुख संस्थाओं (सेंडर्स या बिजनस, प्राइवेट एवं सरकारी निकाय), जो अपने ग्राहकों को थोक संदेश भेजने के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, विनियामक अपेक्षाओं को तुरंत पूरा करने का अनुरोध करता है ताकि उनकी बिजनस गतिविधि में कोई बाधा न आए और जनता को असुविधा न हों और बिजनस एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय वातावरण में काम करें।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (सेवाओं की गुणवत्ता) से टेलीफोन नंबर 11-23230404, या ईमेल advqos@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा